

राजस्थान सरकार

कायलिय तहसीलदार, छावरा
जिला-बारा

* जाति प्रमाण-पत्र *

क्रमांक RJ31/2014/Misc/Digital Caste (SC/ST)/2752

दिनांक 03-07-2014

प्रमाणित किया जाता है कि श्री रोहित बुनकर पुत्र दामोदर बुनकर गांव/नगर छबडा ज़िला/डिवीजन बारा राज्य/संघ राजस्थान में क्लोली (37) जाति/समुदाय का है जिसे निम्नलिखित के अनुसार अनुसूचित जाति के रूप में मान्यता दी गई है:-

संकेतान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950, संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश 1950,

अधिनियम (अनुसूचित जाति) संघ राष्ट्र अदेश 1951, संविधान (अनुसूचित जनजाति) संघ राष्ट्र अदेश 1951,

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति सुचियां (संघोपाली) आदेश 1956, अन्वयुक्त उन्नर्णाठन अधिनियम 1960, पंजाब उन्नर्णाठन अधिनियम 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1970, उत्तर प्रदेश भेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा पश्च राष्ट्रोपित संकेतान (जम्मू न और्जाहर) अनुसूचित जाति आदेश 1956, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश 1959, संविधान (दादरा तथा नानर हवेली)

अधिनियम, 1976 द्वारा पश्च संशोधित संविधान (आण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश 1959, संविधान (दादरा तथा नानर हवेली) अनुसूचित जाति, आदेश 1962, संविधान (दादरा तथा नानर हवेली) अनुसूचित जनजाति, आदेश 1962, संविधान (दादरा तथा नानर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश 1964, संविधान अनुसूचित जनजाति (उत्तर इंदौर) आदेश 1967, संविधान (गोवा, दमन तथा दीवा) अनुसूचित जाति आदेश 1968, संविधान (गोवा, दमन तथा दीवा) अनुसूचित जनजाति आदेश 1968, संविधान (चापांगेंड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970

श्री/श्रीपति/कुमारी रोहित बुनकर गांव/नगर छबडा ज़िला/डिवीजन बारा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र राजस्थान में सामान्यतया रहता है।

नोट :

1. यह प्रयोग राष्ट्राधारणतः निवासी का अर्थ वही होगा जो जन प्रतिनिधित्व 1950 की घाय 20 में है।
2. राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय अधिकारीता विभाग की अधिसूचना सं.एफ. 21(37) एस.जे.ई./कम्प्यूटर/ई.जी./08-09/73710 दिनांक 30/12/2010 के द्वारा जाति प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु डिजिटल हस्ताक्षर के उपयोग को मान्यता प्रदान की गयी है।
3. उपरोक्त ग्रामाण-पत्र फिरोख द्वारा उपलब्ध कराये गये ई-दस्तावेजात के आधार पर जारी किया गया है। दस्तावेजात की सामाजिकता के सम्बन्ध में कोई विवाद होने पर प्रमाण-पत्र खारिज किया जा सकेगा।
4. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गए मूल आवेदन पत्र एवं सम्बन्धित दस्तावेजात जिले के सम्बन्धित प्रदत्त अधिकारी जिरके हस्ताक्षर से यह जारी किया जायेगा के कायलिय में निरीक्षण/परीक्षण के लिए उपलब्ध होगी।
5. यह प्रमाण-पत्र डिजिटल हस्ताशीरित है। अतः सभी कार्यों के लिये मान्य है।
6. ग्रामी को जारी किये गये ग्रामाण-पत्र का सत्यापन www.emitra.gov.in पर स्थित On-line Verification Section से ऑन-लाइन सत्यापित किया जा सकता है।

तहसीलदार, छावरा

Signature valid

Digitally signed by
SATYANARAYAN
BASUJAL
Date: 2014-07-03
10:11:45 IST
Reason: SCM
Location: Rajasthan



1431017510126317